भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5465
उत्तर देने की तारीख 05 अप्रैल, 2022
15 चैत्र, 1944 (शक)

फुटबॉल को बढ़ाना

5465. श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मंशा और अधिक धनराशि एवं तकनीकी सहायता की घोषणा करके फुटबॉल को बढ़ावा देने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): खेल-विधा विशेष के संवर्धन का उत्तरदायित्व संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) का होता है, फुटबॉल के लिए यह उत्तरदायित्व अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) का है । सरकार विदेशों में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय टीमों के प्रशिक्षण और प्रतिभागिता, भारत में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, उपकरणों की खरीद, भारतीय और विदेशी कोचों द्वारा राष्ट्रीय टीमों/ खिलाड़ियों के अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक बैकअप सहित प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एआईएफएफ के प्रयासों की पूर्ति करती है । फुटबॉल खेल को "प्राथमिकता" श्रेणी में रखा गया है ताकि इसे एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत अधिकतम सहायता मिल सके ।

हाल ही में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत सहायता के मानदंडों को संशोधित किया है और सहायता की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की है । सहायता के ये संशोधित मानदंड फुटबॉल खेल के लिए भी लागू होते हैं ।

****